शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 2025 /पांच–1–2019–5(19)/2018टी0सी0–II

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2019

विषय : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी परिवारों को प्लास्टिक कार्ड वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मा0 प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवारों के नाम पत्र का वितरण माह–अक्टूबर व नवम्बर, 2018 में किया गया था। योजनान्तर्गत समस्त चिन्हित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा "आरोग्य कार्ड" उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आरोग्य कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है, जिसमें परिवार की यूनिक आई0डी0 संख्या अंकित है। इस कार्ड को लाभार्थी परिवार सुविधाजनक रूप से संरक्षित रख सकता है। प्लास्टिक कार्ड की सहायता से लाभार्थी का गोल्डेन कार्ड बनवाने में सुविधा होगी। तत्क्रम में चयनित वेण्डर द्वारा जनपदवार लाभार्थी परिवारों के प्लास्टिक कार्ड बनाकर जनपद स्तर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वेण्डर प्लास्टिक कार्ड जनपदवार, ब्लॉकवार एवं ग्रामवार बण्डल बनाकर उपलब्ध करायेंगें। प्लास्टिक कार्ड प्राप्त करने तथा लाभार्थी परिवारों तक वितरित करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

1. प्लास्टिक कार्ड के बण्डल मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाएंगे।
2. जिलाधिकारी द्वारा जनपद के जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्डों का बण्डल ब्लाकवार वितरित करने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करते हुए एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। निर्धारित तिथि पर उक्त कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही जनपद मुख्यालय के आस–पास के कुछ लाभार्थियों को कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधि के हाथों से उन्हें कार्ड वितरित कराया जाएगा।
3. ब्लाक स्तर पर भी इसी प्रकार कार्यक्रम आयोजित करते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्डों का बण्डल ग्रामवार आशाओं को प्राप्त कराया जाएगा।
4. आवंटित गांव के लाभार्थियों के कार्डों का बण्डल प्राप्त करने के उपरान्त आशा द्वारा गांव के सब सेन्टर अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी कार्यक्रम

आयोजित करते हुए उपस्थित लाभार्थियों को कार्ड वितरित किया जाएगा। शेष कार्ड आशा द्वारा लाभार्थी परिवारों के घर–घर जाकर वितरित किया जाएगा।

5. प्लास्टिक कार्ड वितरण में किसी प्रकार का शुल्क लाभार्थी परिवारों से नही लिया जायेगा।
6. जनपद स्तर पर प्लास्टिक कार्ड प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर लाभार्थी परिवारों तक कार्ड का वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर लिया जाय।
7. कार्ड वितरण के उपरान्त संलग्न प्रारूप पर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी परिवारों को प्लास्टिक कार्ड वितरित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उ0प्र, लखनऊ।
(3) निदेशक, (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरनाम)
उप सचिव।

जनपद का नाम –

जनपद स्तर पर प्राप्त कार्ड की संख्या एवं प्राप्त करने की तिथि	समयान्तर्गत वितरित किये गये कार्ड की संख्या	अवशेष कार्ड की संख्या
1	2	3